



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-26092025-266443
CG-TL-E-26092025-266443

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4219]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/ आश्विन 1, 1947

No. 4219]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 19 सितम्बर, 2025

का.आ. 4337(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, तेलंगाना राज्य के यादद्री भुवनगिरी जिले में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् "गुंटूर और बीबीनगर स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन का दोहरीकरण" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितप्रद्ध कोई भी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (1) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, भोनगीर को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.

उक्त अधिनियम की धारा 20-डी की उप-धारा (2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अंतिम होगा.

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सकता है. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 30) के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाएगा.

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के यादाद्रि भुवनगिरी जिला क्षेत्राधिकार में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् "गुंटूर और बीबीनगर स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन का दोहरीकरण" के लिए किसी संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण.

क्रम सं.	मंडल का नाम	गाँव का नाम	क्रम सं.	सर्वेक्षण सं.	अनुमानित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनुमानित क्षेत्र (एकड़ गुंटा में)
1	बीबीनगर	गूडूर	1	221	0.020234	0.02
			2	220	0.111289	0.11
			कुल		0.131523	0.13
2	भोनगीर	पगिडिपल्ली	1	142	0.235223	0.23 ¼
			2	181	0.075879	0.07 ½
			3	182	0.010117	0.01
			4	183	0.075879	0.07 ½
			कुल		0.397098	0.39 ¼
3	भोनगीर	बोम्माईपल्ली	1	41	0.227636	0.22 ½
			2	48	0.118876	0.11 ¾
			3	49	0.470447	1.06 ½
			4	85	0.045527	0.04 ¼
			कुल		0.862486	2.05
4	भोनगीर	भोनगीर	1	399	0.161874	0.16
			2	400	0.007588	0.00 ¾
			3	445	0.149228	0.14 ¾
			4	446	0.202343	0.20
			5	447	0.118876	0.11 ¾
			6	448	0.374334	0.37
			7	691	0.156816	0.15 ½
			8	719	0.154286	0.15 ¼
			कुल		1.325345	3.11
5	भोनगीर	अनाजिपुर	1	281	0.025293	0.02 ½
			2	282	0.002529	0.00 ¼
			3	328	0.055644	0.05 ½
			कुल		0.083466	0.08 ¼
8	भोनगीर	नागिरेडिपल्ली	1	102	0.020234	0.02
			2	105	0.349041	0.34 ½
			कुल		0.369275	0.36 ½
सकल योग					3.169193	7.33

[फा. सं. W.Con.182/SRP-03/GNT-BN/23-24/244/20A/190925]

के. सूर्यनारायण, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 19th September, 2025

S.O. 4337(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (here in after referred to as the said Act) the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely “Doubling of Railway line between Guntur and Bibinagar Stations” in the district of Yadadri Bhuvanagiri in the State of Telangana hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Bhongir in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority. *Compensation will be awarded as per The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No.30 of 2013)*

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely “Doubling of Railway line between Guntur and Bibinagar Stations” in the jurisdiction district of Yadadri Bhuvanagiri in the State of Telangana

Sl. No.	Name of the Mandal	Name of the Village	Sl. No.	Survey No.	Tentative Area (in Hectares)	Tentative Area (in Acre. Guntas)
1	Bibinagar	Gudur	1	221	0.020234	0.02
			2	220	0.111289	0.11
			Total		0.131523	0.13
2	Bhongir	Pagidipally	1	142	0.235223	0.23 ¼
			2	181	0.075879	0.07 ½
			3	182	0.010117	0.01
			4	183	0.075879	0.07 ½
			Total		0.397098	0.39 ¼
3	Bhongir	Bommaipally	1	41	0.227636	0.22 ½
			2	48	0.118876	0.11 ¾
			3	49	0.470447	1.06 ½
			4	85	0.045527	0.04 ¼
			Total		0.862486	2.05
4	Bhongir	Bhongir	1	399	0.161874	0.16
			2	400	0.007588	0.00 ¾
			3	445	0.149228	0.14 ¾
			4	446	0.202343	0.20
			5	447	0.118876	0.11 ¾
			6	448	0.374334	0.37
			7	691	0.156816	0.15 ½
			8	719	0.154286	0.15 ¼
			Total		1.325345	3.11
5	Bhongir	Anajipur	1	281	0.025293	0.02 ½
			2	282	0.002529	0.00 ¼

			3	328	0.055644	0.05 ½
			Total		0.083466	0.08 ¼
8	Bhongir	Nagireddipally	1	102	0.020234	0.02
			2	105	0.349041	0.34 ½
			Total		0.369275	0.36 ½
Grand Total					3.169193	7.33

[F. No. W.Con.182/SRP-03/GNT-BN/23-24/244/20A/190925]

K SURYA NARAYANA, Chief Engineer/Con-III